(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2904—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18—07—2016 एवं 4—8—16 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बृत्त खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 105/अ—6/2014—15.

.....

1—विवेक वर्मा तनय श्री रामस्वरूप वर्मा
निवासी मोहल्ला उर्रहट रीवा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2—काशीप्रसाद कुशवाहा तनय स्व0 सूर्यदीन कुशवाहा
निवासी ग्राम देवरा/खटखरी तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—उर्मिला गुप्ता पुत्री स्व0 श्री रामचंद्र गुप्ता
पति स्व0 श्री श्यामलाल गुप्ता
2—संगमलाल गुप्ता तनय श्री महावीर गुप्ता
निवासीगण ग्राम खटखरी तहसील
हनुमना जिला रीवा म0प्र0
3— म0 प्र0 शासन

———अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जे0 एस0 गौड़ अभिभाष अना0—1 एवं श्री आई0 पी0 द्विवेदी
एवं श्री एच0 एम0 मिश्र अभिभाषक अना0 क0—2
श्री आर0 पी0 पालीवाल, अभिभाषक, अनावेदक—3

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–07–2016 एवं 4–8–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.7.16 को आदेश पत्रिका में लेख किया गया था कि प्रकरण राजस्व न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आदेश की प्रतीक्षा की जावे। प्रकरण आदेश की प्रतीक्षा में...। दिनांक 4.8.16 को आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण कमांक 105/अ–6/14–15 में पारित आदेश दिनांक 18.7.16 के अन्तर्गत धारा 32 के तहत संशोधित आदेश पारित किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया कि वरिष्ठ राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में हैं। आवेदक अधिवक्ता का आवेदन निरस्त कर दिया गया और प्रकरण न्यायालयों के आदेश की प्रतीक्षा में सुरिक्षित रखा गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लेखी बहंस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दो आदेश दिनांक 18.7.16 एवं 4.8.16 पारित कर कानूनी भूल की है जिससे भी दोनों आदेश विधि अनुकूल न होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि निगरानीकर्तागणों ने गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 उर्मिला गुप्ता पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र गुप्ता से रजिस्टर्ड विकय दिनांक 28.6.12 को राशि 5,00,000/– रूपये की अदायगी करते हुये आराजी कमांक 418 का आंशिक रकवा 0.462 है0 व आराजी कमांक 419 का आंशिक रकवा 0.053 है0 आराजी कमांक 420 का आंशिक रकवा 0.020 है0 आरजी कमांक 506 का आंशिक रकवा 0.137 है0 आराजी कमांक 507/1 का आंशिक रकवा 0.123 है0 आराजी कमांक 508 का आंशिक रकवा 0.050 है0 कुल किता 06 जुमला रकवा 0.875 है0 भूमि स्थित ग्राम खटखरी पटवारी हल्का खटखरी तहसील हनुमाना जिला रीवा के अंतर्गत केतागणों ने कय किया हे जिस पर विकेता गैरनिगरानीकर्ता कमांक 01 कय दिनांक को मौके से कब्जा दखल दे दिया गया है, आवेदक/निगरानीकर्तागण मौके से काबिज दखील हैं दो

फसली भूमि है आम व अमरूद के पेड़ व आवासीय मकान आवेदकगणों के स्थित हैं जिस पर अनावेक कमांक –2 संगमलाल गुप्ता का कोई भी हक व अधिपत्य नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य पूर्ण एवं नैसर्गिक न्याय के विरीत जाकर जो आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आदेश दिनांक 29.3.16 में माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हनुमना को स्पष्ट निर्देश नामांतरण करने से संबंधित दिया गया था ओर अधीनस्थ न्याययालय का आदेश दिनांक 26. 11.15 में स्पष्ट रूप से निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को दिया गया था फिर भी माननीय दोनों वरिष्ठ यायालय राजस्व न्यायालयों के आदेश दिनांक 27.6.15 एवं 29.3.16 दोनों आदेशों की खुलेआम उल्लंघन एवं अवमानना करते हुये विध विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अंत में उनमें द्वारा अनुरोध किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे तथा नायब तहसीलदार खटखरी तहसील हनुमना का पारित आदेश दिनांक 18.7.16 एवं 4.8.16 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक कमांक 1 की ओर से लेखी बहस प्रस्तुत की गई। आराजी कमांक 418 का आंशिक रकवा 0.462 है0 व आराजी कमांक 419 का आंशिक रकवा 0.053 है0 आराजी कमांक 420 का आंशिक रकवा 0.020 है0 आरजी कमांक 506 का आंशिक रकवा 0.137 है0 आराजी कमांक 507/1 का आंशिक रकवा 0.123 है0 आराजी कमांक 508 का आंशिक रकवा 0.050 है0 कुल किता 06 जुमला रकवा 0.875 है0 भूमि स्थित ग्राम खटखरी पटवारी हल्का खटखरी तहसील हनुमाना जिला रीवा के अंतर्गत स्थित है जिस पर कब्जा दखल गैरनिगरानीकर्ता कमांका–1 का मौजूद था अपनी आवश्यकता हेतु उक्त भूमियों को निगरानीकर्तागण के पक्ष में विकय पत्र का निष्पादन दिनांक 28.6.12 को कर दिया गया हे तथा नायब तहसीलदार सर्किल खटकरी में निगरनीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पत्र अंतग्त धारा 109, 110 में जवाब प्रस्तुत किया गया था जो विकय पत्र विधि अनुकूल है, निगरानीकर्तागण नामांतरण करा पाने के विधिक अधिकारी हैं। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया हे कि न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.3.16 को पारित किया गया है उस आदेश का पालन नायब तहसीलदार हनुमना ने नहीं किया है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 27.6.15 भी पारित हुआ है उस

आदेश का भी पालन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है व माननीय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट मऊगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8.10.07 में विधिवत व्याख्या करते हुये स्पष्ट रूप से समस्त तथ्यों से संबंधित एवं वाद प्रश्नों से संबंधित निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे तथा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 29.3.16 का परिपालन कराने का अनुरोध किया गया है।

5–अनावेदक कमांक–2 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि विक्रय पत्र दिनांक को उर्मिला भूमिस्वामी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हनुमना द्वारा निरस्त किया गया नामांतरण आवेदन पत्र विवेक आदि विरूद्व शासन उचित है। प्रकरण लंबित रहने के दौरान विवके आदि निगरानीकर्ता शून्य ऋणपुस्तिका के आधार पर विक्रय पत्र तहरीर कराया है। प्रकरण में जो खसरा लगाया है, वह फर्जी था, न्यायालय के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रकरण लंबनकाल के दौरान कराया गया विक्रय पत्र अपने आप में शून्य है। पूर्व में चल रहे प्रकरण में विवेक आदि पक्षकार भी नहीं थे। जिस न्यायालय के आदेश के आधार पर रूपनी आदि भूमिस्वामी दर्ज हुई है उसका विरोध आज तक नहीं है वह आदेश अंतिम है।

6–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत लेखी तर्को का अध्ययन किया गया तथा तर्क भी श्रवण किये गये। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 4.8.16 को धारा–32 के तहत संशोधित आदेश पारित किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो नायब तहसीलदार द्वारा यह लेख करते हुये निरस्त कर दिया गया है कि प्रकरण अभी वरिष्ठ राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में प्रकरण लंबित है। नायब तहसीलदार के द्वारा अंतिरिम आदेश दिनांक 18.7.16 एवं 4.8.16 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं। अतः उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार नायब तहसीलदार खटखरी तहसील हनुमना जिला रीवा का प्रकरण कमांक 105/अ–6/2014–15 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 18–07–2016 एवं दिनांक 4.8.16 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर